The Uttar Pradesh Gaon Panchayat or Kshetra Samiti (Karyakal Ka Vistaran) Adhiniyam, 1971

Act 18 of 1971

Keyword(s):
Gaon Panchayat, Extension of Term

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

L.A. 15/71/18
cop. 2

उत्तर प्रदेश गांव पंचायत तथा क्षेत्र समिति (कार्यकाल का विस्तारण) अधिनियम, 1971

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18, 1971)

(उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 11 अगस्त, 1971 ई० तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 16 अगस्त, 1971 ई० की बैठक में स्वीकृत किया)

('भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राज्यपाल ने दिनांक 21 अगस्त, 1971 ई० को स्वीकृति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 22 अगस्त, 1971 ई० को प्रकाशित हुआ।)

यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट, 1947 तथा उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 में अग्रेतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के बाईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश गांव पंचायत तथा क्षेत्र समिति (कार्यकाल का विस्तारण) अधिनियम, 1971 कहलायेगा। संक्षिप्त नाम

2—यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट, 1947 की धारा 12 में, उपधारा (2) में, शब्द "ग्यारह वर्ष" के स्थान पर शब्द "बारह वर्ष" रख दिये जायें। यू० पी० ऐक्ट संख्या 26, 1947 की धारा 12 का संशोधन

3—उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 की धारा 8 में, उपधारा (1) के प्रथम प्रतिबन्धात्मक खंड में, शब्द "चार वर्ष" के स्थान पर शब्द "पांच वर्ष" रख दिये जायें। उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 33, 1961 की धारा 8 का संशोधन

4—उत्तर प्रदेश गांव पंचायत तथा क्षेत्र समिति (कार्यकाल का विस्तारण) अध्यादेश, 1971 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 5, 1971 का निरसन

(उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिए कृपया दिनांक 19 जुलाई, 1971 ई० का सरकारी असाधारण गजट देखिये)

Price 05 Paise

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० 22 जनरल (लेग०)—1972—1,355 (मे०)।